रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012020-215713
CG-DL-E-27012020-215713

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART I—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2020/माघ 4, 1941
No. 45] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2020/MAGHA 4, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2020

सा.का.नि. 48(अ).—कतिपय प्ररुप नियम, अर्थात् पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2018 भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 1064(अ), तारीख 24 अक्तूबर, 2018 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन यथाअपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किए गए थे, उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उपर्युक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 25 अक्तूबर, 2018 को जनता को उपलब्ध करा दी गईं थी;

और उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रुप से विचार कर लिया गया है।

अत: अब केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची 1 में क्रमसंख्यांक 35 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम सं.	उद्योग	मानदंड	मानक
1.	2.	3.	4.
"35	कॉफी उद्योग	**तत्काल/शुष्क प्रसंस्करण**	
			सांद्रण के लिए सीमांत मान, पीएच को छोड़कर मि.ग्रा./ली. में
		पी एच	6.5-8.5
		बीओडी $_{3\text{दिन}}$ 27^0 से.	100 (सिंचाई के लिए भूमि पर छोड़ने हेतु)
		नम/चर्म पत्र कॉफी प्रसंस्करण	
		पी एच	6.5-8.5
		बीओडी $_{3\text{दिन}}$ 27^0 से. क. रेखित लैगून में भंडारण के लिए ख. सिंचाई के लिए भूमि पर छोड़ने हेतु	 1000 100
		टिप्पण – **(i)** कच्चे, उपचारित और/या मंदित निस्सारी किन्हीं परिस्थितियों के अधीन, चाहे जो भी हो, सतह जल निकाय में नहीं छोड़ा जाएगा या भू जल को रिचार्ज करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। **(ii)** अपारगम्य रेखित प्रणाली का निर्माण अच्छी तरह से श्रेणीकृत, उच्च अपारगम्य मिट्टी या जिओसिंथेटिक रेखीय, जिओसिंथेटिक रेखित मिट्टी (जीसीएल) के रुप में उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) या दोनों के संयोजन से किया जाएगा और 1X10^{-7} से.मी./से. से कम की पारगम्यता के अपने मूल स्थान को प्राप्त करेगा। सघन रेखित मिट्टी की न्यूनतम मोटाई 300 मिमी. (या दो सघन परतें प्रत्येक की न्यूनतम मोटाई 150 मिमी.) होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने हेतु पूर्ण रेखित का परीक्षण किया जाना चाहिए कि यह पारगम्यता मानदंडों को पूरा करता है। **(iii)** निस्सारण भंडारण की सुविधाएं/लैगून/सौर्य वाष्पीकरण कुंड नि:शुल्क बोर्ड के साथ नीचे उल्लिखित धारा, नाला, आदि के निकट उच्च बाढ़ स्तर चिन्ह के ऊपर स्थित होगा और दूरी पर स्थित जल निकाय/धारा से दूर होगा। नि:शुल्क बोर्ड (सेमी) 60 दूरी (मी) 100 (iv) विनिर्देश रेखित प्रणाली और विनिर्देश लैगून को एक वर्ष में प्राप्त करना है।	

[फा. सं. क्यू-15017/26/2007-सीपीडब्ल्यू]

जिगमेत टक्पा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. सा.का.नि. 952(अ) तारीख 26 दिसम्बर, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2020

G.S.R. 48(E).—Whereas, certain draft rules, namely the Environment (Protection) Amendment Rules, 2018 were published in the Gazette of India, Extraordinary, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules,1986, vide notification of the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide number G.S.R. 1064(E), date the 24th October, 2018, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the dated on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, copies of the Gazette containing the aforesaid notification were made available to the public on the 25th October, 2018;

And Whereas, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the aforesaid notification have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. **Short title and commencement.-**(1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-l, for serial number 35 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

S.No. 1	Industry 2	Parameter 3	Standards 4
"35	**Coffee Industry**	**Instant / Dry Processing**	
			Limiting value for concentration in mg/l except for pH
		pH	6.5 – 8.5
		$BOD_{3days}.27\ ^{0}c$	100 (for discharge on land for irrigation)
		Wet / Parchment Coffee Processing	
		pH	6.5 – 8.5
		$BOD_{3days}.27\ ^{0}c$ A. For storage in lined lagoons B. For discharge on land for irrigation	 1000 100
		Note: (i) Raw, treated and / or diluted effluent shall not be discharged into surface water body or used for recharging ground water under any circumstances what so ever. (ii) The non-permeable lining system shall be constructed by using well graded, highly impervious clay or geosynthetic liners such as Geosynthetic Clay Liners (GCL), High-Density Polyethylene (HDPE) or a combination of both and shall achieve an in-situ coefficient of permeability of less than $1x10^{-7}$ cm/sec. The compacted clay liner must have a minimum thickness of 300 mm (or two compacted layers of 150 mm minimum thickness each). The finished lining must be tested to ensure that it meets the permeability criteria. (iii) The effluent storage facilities/lagoons/solar evaporation ponds shall be located above high flood level mark of the nearby stream, rivulet, etc. with below mentioned free board and away from any water body/stream at a distance. Free Board (cm) 60 Distance (m) 100 (iv) The liner system specification and lagoon specification to be achieved in one year.".	

[F. No. Q-15017/26/2007-CPW]

JIGMET TAKPA, Jt. Secy.

Note : The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended *vide* notification G.S.R. 952(E), dated the 26th December, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.01.27 04:46:53 +05'30'